भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 398
दिनांक 03 दिसंबर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

कारागारों में क्षमता से अधिक कैदी

398# डा. संदीप कुमार पाठकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कुल कारागारों तथा कैदियों की संख्या कितनी है, राज्य-वार कारागारों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने कारागारों में क्षमता से अधिक कैदी रखे गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा क्षमता से अधिक कैदियों वाली जेलों से कैदियों के स्थानांतरण की कोई व्यवस्था या नीति बनाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा कितनी नई जेलें बनाई जाएंगी तथा कितने मौजूदा जेलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिनके लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टेटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में जेलों की संख्या, उनकी उपलब्ध क्षमता और कैदियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्य सभा अता.प्र.सं. 398, दिनांक 03.12.2025

(ग) से (ङ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' “राज्य सूची” का विषय है। इसलिए, जेलों और कैदियों का प्रशासन और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो कैदियों को भीड़-भाड़ वाली जेलों से अन्य जेलों में स्थानांतरित करने का निर्णय लेने में सक्षम हैं।

नई जेलों का निर्माण और मौजूदा जेलों की क्षमता में वृद्धि संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की ज़िम्मेदारी है और इसके लिए उचित बजटीय प्रावधान उन्हें करना है।

*****

राज्य सभा अता.प्र.सं. 398, दिनांक 03.12.2025

अनुलग्नक

31.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश में जेलों की संख्या, उपलब्ध क्षमता और कैदियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम संख्या.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेलों की संख्या	उपलब्ध क्षमता	कैदियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	106	8831	7889
2	अरुणाचल प्रदेश	2	383	360
3	असम	31	10120	10652
4	बिहार	59	49019	53076
5	छत्तीसगढ़	33	14383	18421
6	गोवा	1	624	568
7	गुजरात	32	14065	17265
8	हरियाणा	22	22045	25833
9	हिमाचल प्रदेश	16	2560	2816
10	झारखंड	32	17671	18862
11	कर्नाटक	54	14237	15236
12	केरल	57	7823	9920
13	मध्य प्रदेश	132	29875	45543
14	महाराष्ट्र	60	26281	40805
15	मणिपुर	4	1160	535
16	मेघालय	5	680	1283
17	मिजोरम	10	1386	1957
18	नागालैंड	12	1490	591
19	ओडिशा	92	24666	18170
20	पंजाब	26	26543	31529
21	राजस्थान	155	23288	22737
22	सिक्किम	2	260	318
23	तमिलनाडु	142	24342	19738
24	तेलंगाना	38	8037	5853
25	त्रिपुरा	14	2348	1329
26	उत्तर प्रदेश	77	65866	98849
27	उत्तराखंड	11	3761	6885
28	पश्चिम बंगाल	60	21476	25774
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4	319	373
30	चंडीगढ़	1	1120	1069
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव	2	170	145
32	दिल्ली	16	10026	20077
33	जम्मू और कश्मीर	14	3629	5400
34	लद्दाख	2	155	46
35	लक्षद्वीप	4	64	3
36	पुदुचेरी	4	416	426
	कुल	**1332**	**439119**	**530333**

*****